संख्या : /जी0एस0/शिक्षा/A3-29(1)/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

1 JAN 2020

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड — देहरादून : दिनांक ~~दिसम्बर,~~ 2019

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्याः 312 मान्यता/के0यू0/2019 दिनांक 31 मई, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **श्री सनातन धर्म कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर** को **बी0कॉम0, एम0ए0 (अंग्रेजी एवं गृह विज्ञान) एवं बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र एवं गृह विज्ञान)** पाठ्यक्रम में सत्र 2019–12 से सत्र 2021–22 की अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2018–19 से पूर्व के सत्रों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कुमाऊँ विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद यू0जी0सी0 के मानकों के पूर्ण होने की दशा में इस सचिवालय के पत्र संख्या 296 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर सम्बद्धता विषयक आदेश यथाशीघ्र जारी करेगी व आदेश की प्रति विश्वविद्यालय द्वारा मा0 कुलाधिपति के अवगतार्थ उपलब्ध कराई जायेगी।

3– यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष दर वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के पूर्व निर्णय के क्रम में शैक्षिक सत्र 2019–20 के सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल व कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति द्वारा **उक्त संस्थान को बी0कॉम0 पाठ्यक्रम में 60 सीट, एम0ए0 (अंग्रेजी एवं गृह विज्ञान में 40 सीट प्रति विषय, बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र एवं गृह विज्ञान)** पाठ्यक्रम में **240 सीटों** के साथ **सत्र 2019–20** हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान कर दी गई है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या/संस्तुति के अनुसार सभी मानकों को पूर्ण कराने पर कार्रवाई कराते हुए विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के आवश्यक मानकों के पूर्ण होने की दशा में अस्थाई सम्बद्धता सम्बन्धी विषयक निर्णय लेकर आदेश जारी करेगी। फैकल्टी अनुमोदन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 विनियम 2009 के प्रस्तर 3.4.7 के अनुसार सम्बद्धता आदेश के 03 माह के भीतर जारी करेगा व कृत कार्रवाई से मा0 कुलाधिपति को अवगत कराया जायेगा।

4– यू0जी0सी0 विनियमों में सत्र दर सत्र की अस्थाई सम्बद्धता के दृष्टिगत सत्र 2020–21 की सम्बद्धता विस्तारण पर विचार सत्र 2020–21 में ही मानक पूर्ण होनें की दशा में किया जायेगा।

5– तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3472 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A3-29(1)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।